संज्ञान | जिला न्यायालय ने जारी किये आदेश

क्रूज हादसे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

जबलपुर। क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये है। जेएमएफसी डी पी सूत्रकार ने बरगी थाना पुलिस को दो दिनों को एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने के निर्देश जारी किये थे।

जेएमएफसी डी पी सूत्रकार ने अपने आदेश में कहा है कि समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि चालक के द्वारा क्रूज अपेक्षा पूर्वक चलाया गया। जिसके कारण क्रूज डूबने से कई व्यक्तियों की मौत हो गयी। चालक स्वयं क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने पर भी उसके सवार यात्रियों को डूबता छोड़कर सकुशल बच निकला। उसके द्वारा उन्हें बचाने के कोई प्रयास न किया जाना धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के

प्रयत्न को दर्शाता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं हुई तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़ेगा और इस कार्य की पुनरावृत्ति होगी। न्यायालय ने अपने आदेष में कहा है कि उपरोक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु न्यायालय घटना के समय क्रूज पर मौजूद चालक तथा अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किये जाने के आदेष स्वत: संज्ञान लेकर देता है। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा क्रूज में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने वालों की सराहना करता है। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उक्त संबंध में दो दिनों में एफआईआर दर्ज न्यायालय को सूचित करें।

ज्वलनशील पदार्थों के कारखानों और गोदामों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

जबलपुर। शहर भर में चल रहे ज्वलनशील पदार्थों के कारखानों और गोदामों के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट की शरण ली गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व नयागांव के समाजसेवी रजत भार्गव ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर दी है। जिसमें जल्द सुनवाई संभावित है। दायर याचिका में कहा गया है कि जबलपुर शहर के कोने-कोने में ज्वलनशील पदार्थों का उत्पादन व भंडारण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आवासीय क्षेत्रों में चल रहे ये कारखाने व गोदाम आबादी के लिए खतरा बने हुए हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

गवाहों के बयान होने चाहिये भरोसेमंद

जबलपुर। आत्महत्या के लिए प्रेरित किये जाने के मामले में जिला न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस आर के वाणी की एकलपीठ ने पाया कि गवाहों के बयान में विरोधाभास है। एकलपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयान भरोसेमंद व संदेह मुक्त होना चाहिये।

सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि कटनी के स्लीमनाबाद थानान्तर्गत रहने वाली विमला बाई ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के पहले उसका किरण गुप्ता तथा उसकी माँ राधा से विवाद हो गया था और उन्होने गंदी-गंदी गाली देते हुए उसके मरने के लिए कहा था। इसके अलावा राधा के बेटे दिलीप ने उसे कमरे में बंद कर दिया था।

जिसके बाद पीडिता ने आत्महत्या के लिए खुद को आग लगा ली। पीड़ित को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए पहले कटनी फिर जबलपुर में भर्ती किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा गया था कि आरोपियों के द्वारा अपशब्द करते तथा कमरे में बंद करने के कारण उसने आत्महत्या की है। इसके बावजूद भी जिला न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ सरकार की अपील को खारिज कर दी।

यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क के तीन गोदामों में भीषण अग्निकांड

रात से लेकर दोपहर तक सुलगती रही आग

लाखों का माल जलकर खाक

12 फायर ब्रिगेड के वाहनों ने आग पर पाया काबू

नवभारत, जबलपुर। कटंगी बायपास के पास करीब ढाई एकड़ में फैले यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग भड़क उठी जिसमें वहां डेलीवरी, रिलायंस और ब्रिटानिया कंपनी के गोदामों में रखा लाखों का माल जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें लोगों को नजर आ रहीं थीं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर अमले ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गोदामों में तेल, घी, चावल, गेंहू, दाल, किराना सामान जलकर खाक हो गया है। लॉजिस्टिक पार्क गौतम नाहटा और सिद्धार्थ मेहता का बताया जा रहा है। गोदामों में तेल, घी होने के कारण मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे तक आग बार बार सुलग रही थी जिस दौरान फायर अमले द्वारा आग को शांत कराया जा रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दौरान कहा कि फायर ब्रिगेड के अमले की सजगता से ये अच्छा हुआ कि आग वहीं पास में स्थित टायर, पेंट के गोदाम तक नहीं पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए टैंकर सहित कुल 12 नगर निगम के फायर वाहनों की मदद ली गई थी। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी पहुंच गए थे।

रात में कर्मचारी नहीं थे मौजूद

जानकारी के अनुसार कटंगी बायपास में स्थित यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क के तीनों गोदाम रात में बंद रहते हैं जिस कारण वहां कर्मचारी मौजूद नहीं थे। अगर घटना के वक्त वहां करीब 40 से 50 कर्मचारी मौजूद रहते तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था। क्योंकि तीनों कंपनियों के गोदामों में सौ से डेढ़ सौ कर्मचारी कार्यरत हैं।

तीन पार्टिशन में विभाजित थे गोदाम

प्रत्यक्षदर्शी एशियन पेंट्स कंपनी के सुपरवाइजर मोहन बर्मन ने नवभारत को बताया कि उनकी रात में ड्यूटी थी और वे अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि तभी उनके सामने यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क में स्थित डेलीवरी, ब्रिटानिया और रिलायंस कंपनी के गोदामों में रात करीब पौने ग्यारह बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। कटंगी बायपास में मौजूद यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क में तीन पार्टिशन बने हुए थे जिसमें तीनों अलग अलग कंपनियों के गोदाम संचालित हो रहे थे और इनमें लाखों का माल रखा हुआ था। मोहन के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे तक वेयरहाउस में आग सुलगती रही।

अतिरिक्त लूप लाइन कार्य के चलते गढ़ा गोंदिया मेमू रद्द

जबलपुर, नवभारत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत समनापुर स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य की अनुमति प्रदान की गई है। यह कार्य सुरक्षित एवं सुचारु रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य आज 06 मई तक विभिन्न चरणों में 12 घंटे के ओंएचई ब्लॉक के साथ पूर्ण की जाएंगी। वही 07 मई को इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार तथा विद्युत विभाग द्वारा 04:30 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान ज्ञ-28 मशीन की सहायता से नैनपुर एंड पर पॉइंट नंबर 42क्ष एवं बालाघाट एंड पर पॉइंट नंबर 32 का समावेशन किया जाएगा। यह ब्लॉक 07 मई की रात्रि 22:00 बजे से 08 मई की प्रात: 02:30 बजे तक रहेगा।इसके पश्चात 08 मई को मुख्य नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिसकी कुल अवधि 15 घंटे निर्धारित है। इसमें 12 घंटे का सिग्नल एवं दूरसंचार डिसकनेक्शन तथा 3 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक शामिल रहेगा।

रात्रि 11 बजे तक रहेगा प्रभावी

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रात: 08 बजे से रात्रि 11 बजे तक चलेगा, जबकि ट्रैफिक ब्लॉक रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस कार्य के कारण गाड़ी संख्या 68817 गोंदिया-गढ़ा मेमो पैसेंजर 08 मई को अपने प्रारंभिक गोंदिया स्टेशन से रद्द रहेगी और गाड़ी संख्या 68818 गढ़ा-गोंदिया मेमो पैसेंजर 08 मई को अपने प्रारंभिक गढ़ा स्टेशन से रद्द रहेगी।

अधोसरंचनात्मक कार्य के चलते जयपुर तक चलेगी दयोदय एक्सप्रेस

उत्तर पश्चिम रेलवे के कनकपुरा यार्ड में लाइन विस्तार से संबंधित तकनीकी कार्य के चलते पश्चिम मध्य रेल से संचालित गाडी संख्या 12181, जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 05, 08, 11 से 14 मई तक जबलपुर से प्रस्थान कर गंतब्य अजमेर के बजाय यह जयपुर तक ही संचालित हैं। अर्थात् यह रेलसेवा जयपुर-अजमेर स्टेशनों के मध्य आंशिक निरस्त है। वही गाडी संख्या 12182, अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस 05, 06, 09, 12 से 15 मई तक अजमेर के स्थान पर जयपुर से प्रस्थान करेगी अर्थात् यह रेलसेवा अजमेर-जयपुर स्टेशनों के मध्य आंशिक निरस्त है।

एक ही चेहरे पर एक्टिव मिलीं 101 सिम, फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़, तीन पर एफआईआर

जबलपुर। ऑपरेशन फेस के तहत एक ही चेहरे का उपयोग कर 101 फर्जी सिम एक्टिवेट करने वाले रैकेट का भंड़फोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2023 में आधारित फेशियल रिकग्निशन टूल के माध्यम से डेटा विश्लेषण किया गया था। इसमें यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि एक ही चेहरे का उपयोग कर अलग-अलग नाम और पते पर 50 से अधिक सिम एक्टिवेट की गई हैं। राज्य सायबर मुख्यालय द्वारा प्राप्त डेटा की जांच में जबलपुर के एक ही चेहरे पर 101 सिम एक्टिव होने की जानकारी मिली थी।

जांच में महिला की हुई पहचान

सायबर सेल की गई प्रारंभिक जांच में उक्त चेहरे की पहचान प्राची जैन

पति चेतन जैन, 31 वर्ष निवासी जवाहरगंज हाल निवासी ग्राम डोभी नरसिंहपुर के रूप में की गई। जांच में पाया गया कि प्राची जैन की फोटो का दुरुपयोग कर कुल 101 सिम निकाली गई थीं, जिनमें से 95 सिम वोडाफोन-आइडिया कंपनी की थीं। ये सभी सिम अलग-अलग व्यक्तियों के नाम-पते पर जारी की गई थीं, लेकिन फोटो केवल प्राची जैन की ही इस्तेमाल हुई थी।

एजेंटों की भूमिका हुई उजागर

पुलिस की तस्दीक में धोखाधड़ी में शामिल कई पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर सिम एक्टिवेट कीं गई। जिसमें मनोज मोबाइल से 62 सिम, शादाब मोबाइल से 10 सिम, पब्लिक सर्विस सेंटर से 9 सिम, नर्मदा मोबाइल से 6 सिम कंप्यूटर हब से 5 सिम, अप्पू मोबाइल से 2 सिम, शेखर मोबाइल से 1 सिम उजागर हुई।

10 रूपए का लालच देकर सिमें कराई एक्टिव

प्राची जैन को सायबर सेल बुलाकर पुछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए । जिन्होंने बताया कि उक्त फोटो स्वयं की है। अजय पटेल के द्वारा प्रत्येक सिम पर 10 रुपये का लालच दिया गया। लालच में आकर अलग अलग एंगल से अपनी 50-60 फोटो भेज दी गई थी एवं इसे इस काम के लिये अजय पटेल द्वारा 500-600 रुपये दिये गये थे।

कस्टमर एप्लीकेशन फार्म की जांच रिपोर्ट से खुलासा

पुलिस ने वोडाफोन-आइडिया कंपनी से प्राप्त प्रारंभिक तीन कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की। इसमें अशोक कुमार तिवारी, भूरी बाई और रमा बाई जैसे व्यक्तियों के नाम पर सिम दर्ज थीं, लेकिन उन सभी फॉर्म पर फोटो प्राची जैन की लगी पाई गई।

दूरसंचार विभाग और पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार, फर्जी दस्तावेजों और बायोमेट्रिक के दुरुपयोग के इस मामले में संलिप्त सभी एजेंटों और मास्टरमाइंड के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से सायबर अपराधों के लिए फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क पर बड़ी चोट की गई है।

टारगेट को पूरा करने फर्जीवाड़ा

पीओएस पब्लिक सर्विस सेंटर के संचालक इस्तीकार खान पिता मस्ताक खान निवासी घमापुर रोड फूटाताल खटीक मोहल्ला गौसिया मस्जिद के पास कोतवाली कके बयान भी लिए गए जिसने बताया की पूर्व से प्राची जैन को जानता है एवं बीएसएनएल सिम के काम से इसकी दुकान पर आना जाना था। कंपनी द्वारा दिये गये टारगेट को पूरा करने के लिये इसके द्वारा प्राची जैन के फोटो का उपयोग करके 10 सिमें एक्टिवेट करवायी गई है। बदले में प्रत्येक सिम पर 30-40 रुपये का लाभ होता था। क्राइम ब्रांच ने प्राची जैन, इस्तीकार खान एवं अजय पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है ।

कथित पटवारी ने वर्दी उतरवाने की दी धमकी, थाने में घुस तोड़ा कांच, पुलिस से बदसलूकी

वाहन चेकिंग के दौरान विवाद, घमापुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत व्हीकल मोड में वाहन चेकिंग के दौरान कथित पटवारी ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई और खाकी को रौब दिखाया बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ सरेराह अभद्रता की। वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। इसके बाद थाने में घुसकर कांच तोड़ दिया । आरोपी ने थाने के अंदर भी जमकर उत्पात मचा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार घमापुर यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक शशि धुर्वे के नेतृत्व में व्हीकल मोड़ पर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। दोपहर करीब 12 बजे स्कूटी क्रमांक एमपी 20 एससी 1139 पर सवार चालक बिना हेलमेट के आता दिखा। जब टीम ने उसे रोका, तो चालक भड़क गया। उसने अपना नाम संजुलाल पिता नंदलाल बताया और खुद को मंडला में पदस्थ पटवारी बताते हुए रौब झाड़ने लगा।

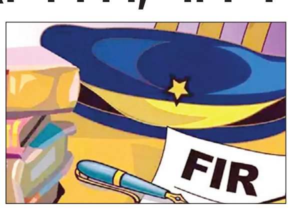

आरक्षक का चश्मा तोड़ा

मौके पर मौजूद स्टाफ ने जब नियम का हवाला दिया, तो कथित पटवारी संजुलाल बहस करने पर उतारू हो गया। उसने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक रविरंजन की जेब से चश्मा निकालकर तोड़ दिया और सरेआम पुलिसकर्मियों को वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगा। सड़क पर तमाशा बढ़ता देख यातायात प्रभारी ने स्थिति को संभाला और उसे शासकीय वाहन से थाने ले जाया गया।

थाने के गेट पर दे मारा हाथ, हुआ घायल

आरोपी का आक्रोश थाने पहुँचकर और बढ़ गया। जैसे ही उसे थाने के भीतर ले जाया जा रहा था, उसने मुख्य द्वार पर लगे कांच के दरवाजे पर पूरी ताकत से हाथ मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दरवाजे का कांच चकनाचूर होकर पूरे परिसर में बिखर गया। इस हरकत में आरोपी के हाथ में चोट आ गई। गनीमत रही कि कांच के टुकड़ों से वहां मौजूद स्टाफ को गंभीर चोट नहीं आई।

शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज

यातायात पुलिस की सूचना पर घमापुर पुलिस ने आरोपी संजुलाल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

अधिकारियों के हस्ताक्षर कर लगाता था वीआईपी कोटा

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सोमवार को सामने आया है यहां तैनात एक कर्मचारी अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग करके रेलवे कोटे की टिकटें निकाल रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद रेलवे प्रशासन ने कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि रेलवे में मंत्री, सांसद, और अन्य विशिष्ट लोगों के लिए टिकट का कोटा तय होता है। इन कोटे की टिकटें वीआईपी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जबलपुर मुख्यालय में तैनात मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अधिकारी का पीएस बाबू इस कोटे की टिकटों में सेंधमारी कर रहा था। आरोपी बाबू हर दिन 3 से 4 टिकटें कंफर्म करवा रहा था। इनमें दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे महानगरों की यात्राएं शामिल थीं। गर्मियों के मौसम में ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच इस तरह से टिकट निकालना नियमों का सीधा उल्लंघन है।

महीनों से चल रहा था खेल, होगी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इस अनियमितता की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ही आगामी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि यह पूरा खेल अधिकारियों के नाम पर कई महीनों से चल रहा था। आरोपी बाबू दोनों अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके हेड ऑफिस कोटा लगाता था। जब दिल्ली में बैठे एक कर्मचारी को इस गतिविधि पर संदेह हुआ, तो उसने सीधा फोन लगाकर अधिकारी से पुष्टि की थी।

ट्रैक्टर को टक्कर मार पलटी बेकाबू बस, 41 घायल

जबलपुर। गोसलपुर थाना अंतर्गत जुझारी पुल के आगे तेज रफ्तार बस ट्रैक्टर को टक्कर मारने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। ट्रैक्टर भी पलट गया। हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक संजय राय 21 वर्ष निवासी हाउसिंग बोड सुभाष नगर महाराजपुर अपने मामा की लडकी की शादी में शामिल होने तेवरी गया था एवं शादी में शामिल होने के बाद बस क्रमांक एमपी 20 पीए 9849 मे बैठकर तेवरी से अपने घर महाराजपुर जा रहा था। बस मे 40-50 लोग सवार थे। सुबह 10 बजे बस जैसे ही जुझारी पुल के आगे पहुची तभी बस के ड्राईवर ने बस को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सामने जा रहे ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 एसी 0372 को साईड से टक्कर मारते हुये बस को पलटा दिया, बस की टक्कर लगने से ट्रैक्टर भी पलट गया, उसके मुंह हाथ पैर एवं बस मे बैठे अन्य 40 सवारियों को भी काफी चोटे लगी है।

ग्रामीणों ने बस के कांच तोड़ यात्रियों को निकाला

हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग बचाव के दौड़े और बस के कांच को तोड़कर बस के अंदर से सवारियों को निकाला है जिसके बाद घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

आराम से चलने कहा, नहीं माना ड्राइवर, मोबाइल चलाता रहा

यात्रियों के मुताबिक बस ड्राईवर बहुत तेज गति लापरवाही पूर्वक चला रहा था, बस में बैठे लोगों ने बस ड्राईवर को आराम से बस चलाने के लिये कहा था, लेकिन बस चालक नहीं माना और तेज गति से बस चला रहा था एवं बस चलाते समय मोबाईल से बात भी कर रहा था। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने का प्रयास किया। ओवरटेक के दौरान चालक संतुलन खो बैठा और बस ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

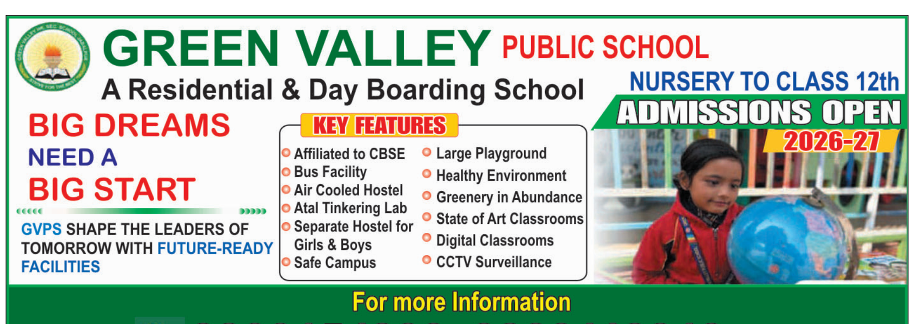

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57